

2025/832

निर्णय

19.11.2025

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
भंवरी कंवर आदि बनाम बलवन्तराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 565 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
17.10.2025	<p>वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">m.</p> <p>30.10.2025 कुलकर्णी कलक्टर उपखण्ड/PU माह 19.11.2025 पत्रावली प्रकटित। दिनांक 30.10.2025 को पेश हो</p>	
07.11.2025	<p>वकील प्रतिवादी ने पारना - पत्र निवाले पेशी पेश करे पर पत्रावली को पेशी में लिया गया कुलकर्णी कलक्टर उपखण्ड प्रकटित किया जाने पर वकील हिलेरा कुमर उपखण्ड आकर पत्रावली पेश किया जिसे शांति कार्डल किया गया पत्रावली अटोरेस्टेड जाकर दि. 19.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">m.</p>	
19.11.2025	<p>कुलकर्णी कलक्टर उपखण्ड स्टेज जाकर पत्रावली पेशी पेश करी गई। पत्रावली को अटोरेस्टेड किया गया पत्रावली पर उपखण्ड रिजिस्टर्ड करी को आकर पर वाद करी डिही डिजा जाता है। पूर्ण दिन शांति निर्णय अलग से लिखा जाकर शांति कार्डल किया जाके पत्रावली नम्बर के कम ही जाकर वाद लक्ष्मी लक्ष्मी लाक्षा शांति कार्डल हो।</p> <p style="text-align: right;">m.</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	